

प्रेस – नोट दिनांक 17.09.2020 थाना खजनी जनपद गोरखपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के दिशा निर्देश में अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी के मार्ग दर्शन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी खजनी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री मृत्युन्जय राय के नेतृत्व में उ०नि० आशीष कुमार तिवारी मय हमराह का० राज नारायन धूर्यवंशी व हस्चुल तलब हमराह हे०कां० मनोज यादव व कां० सुरेश सिंह यादव के साथ क्षेत्र मे मामूर होकर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, संदिग्ध अपराधी, मेंहरदी डीह चौराहे पर मामूर था कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम कोठा में बन्द पड़े मटेलू ईट भट्टे के गड्ढे में सिकरीगंज क्षेत्र से हरे सागौन की लकड़ी चोरी किया गया बोटा रखा है, जहां से लकड़ी का व्यापार करने वाला एक व्यक्ति जो सागौन की लकड़ी चोरी से कटवाकर भिन्न-भिन्न जगहो से लाकर रखा है जहां से गैर जनपदो के लिए ट्रक पर लदवाकर भेजता है, इस सूचना पर मैं उ०नि० मय हमराही कर्मचारीगण के साथ ग्राम कोठा मटेलू ईट भट्टे के पास पहुँचे कर देखा गया तो एक व्यक्ति सागौन की लकड़ी को कहीं ले जाकर बेचने के लिए छिपा रहा था, हम पुलिस वालो को देखकर भागने लगा जिसको भट्टे के पास से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुरेन्द्र उर्फ राजेश विश्वकर्मा पुत्र हरिनारायन विश्वकर्मा निवासी ग्राम गाजर जगदीश थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर बताया, जिसको दिनांक 16.09.2020 को समय 16.30 बजे अन्तर्गत धारा 379, 411 भादवि व 26 वन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर अभियुक्त के द्वारा छिपाई गयी सागौन की 51 बोटा लकड़ी बरामद की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना खजनी पर मु०अ०सं० 679/2020 धारा 379, 411 भादवि व 26 वन अधिनियम में पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-

सुरेन्द्र उर्फ राजेश विश्वकर्मा पुत्र हरिनारायन विश्वकर्मा निवासी ग्राम गाजर जगदीश थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर।

आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 679/2020 धारा 379, 411 भादवि व 26 वन अधिनियम

बरामदगी –

51 अदद हरा सागौन की लकड़ी का बोटा

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. उ०नि० आशीष कुमार तिवारी
2. हे०कां० मनोज यादव
3. कां० राजनारायन धूर्यवंशी
4. कां० सुरेश सिंह यादव